

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
अलीगढ़

सेवा में,

प्रबन्धक,  
एन0एस0इण्टरनेशनल स्कूल  
मदापुर गंगीरी अलीगढ़

पत्रांक/बे0मान्यता/ 133579 /2014-15 दिनांक— 26-12-14  
विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके तारीख 29.08. 2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं- एन0एस0इण्टरनेशनल स्कूल मदापुर गंगीरी अलीगढ़ को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 01 से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है ।

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपाबंध-2)के उपबंधों का पालन करेगा ।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में ) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उवबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूरतिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5-सोसइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा ।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उवबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

(1)-प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा ।

(2)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जाएगा ।

(3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5)-अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।

(6)-अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है । परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है पांच वर्ष की अवधि क भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे ।

(7)-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,और

(8)-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेगा ।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल  
कुल निर्मित क्षेत्र  
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल  
कक्षाओं की संख्या  
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सहभण्डारागार के लिये कक्ष  
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय  
पेयजल सुविधा  
मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई  
बाधारहित पहुंच  
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी ।
- 10-विद्यालय भवनो या अन्य सरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकाश के प्रयोजनों के लिये किया जाता है
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।
- 14-आपके विद्यालय को आर्बटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे ।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।
- 17-सलंगन उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(एस0पी0यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
अलीगढ़

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),  
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371 /2025-26 दिनांक 10/10/2025

**विषय: अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में**  
महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है-

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर-13 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)

शिक्षा निदेशक (बेसिक),

उ०प्र० लखनऊ।

पृ०सं०: शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371

/2025-26 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 2- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल)

शिक्षा निदेशक (बेसिक),

उ०प्र० लखनऊ।